8

कुंदन

हिंदी व्याकरण

अध्यापक सहायक-पुस्तिका

WOODS
BOOK PUBLISHING

कुंदन हिंदी व्याकरण–8

1. भाषा और व्याकरण

(क) 1. दो 2. बोली 3. 22 4. चार 5. चार **(ख)** 1. बोली 2. भाष्, बोलना 3. 22 4. वर्णों 5. व्याकरण **(ग)** 1. 7 2. 3 3. 7 4. 3 5. 7 **(घ)** 1. अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करने के साधन को **'भाषा'** कहते हैं। 2. **भाषा तथा बोली में अंतर**–भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। बोली का प्रयोग साहित्य की रचना में नहीं होता जबकि भाषा का प्रयोग साहित्य की रचना में होता है। 3. मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि-चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें 'लिपि' कहते हैं। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि 'रोमन' है। अरबी तथा उर्दू भाषा की लिपि 'फ़ारसी' है। पंजाबी भाषा की लिपि 'गुरुमुखी' है। मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है 4. किसी भाषा की नियमावली को ही उसका 'व्याकरण' कहते हैं। हर भाषा की अपनी अलग व्यवस्था होती है। भाषा को व्यवस्था प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। हर भाषा में ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की रचना से संबंधित नियम भी अलग-अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। किसी भाषा के सब नियमों को एकत्र करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य होता है। 5. व्याकरण के चार भाग हैं-(1) वर्ण-विचार (2) शब्द-विचार (3) पद-विचार (4) वाक्य-विचार **(1) वर्ण-विचार–** इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। **(2) शब्द-विचार**–इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। **(3) पद-विचार**–इसके अंतर्गत शब्दों के प्रकार आदि पर विचार किया जाता है। **(4) वाक्य-विचार**–व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य-विश्लेषण, संश्लेषण, विराम-चिह्नों आदि के बारे में विचार किया जाता है। **करने की बारी**–स्वयं करें।

2. वर्ण-विचार

(क) 1. 52 2. 11 3. अं व अः 4. चार **(ख)** 1. डाल 2. पिता 3. दीन 4. पड़ा **(ग)** 1. 3 2. 3 3. 7 4. 7 5. 7 **(घ)** 1. च, छ, ई 2. त, थ, ल 3. ऊ, प, फ 4. अं, न, म **(ङ)** 1. मौखिक भाषा में जिसे ध्वनि कहते हैं, लिखित भाषा में वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं-(1) स्वर (2) व्यंजन। 2. स्वर संख्या में 11 हैं–अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ व्यंजन संख्या में 33 हैं– क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण,

त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह 3. हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं– अं तथा अः। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों में स्थान पाते हैं। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण, इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। 4. जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, तो उसे 'वर्ण-संयोग' कहते हैं। 5. **संयुक्त व्यंजन**–दो व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं; जैसे–क्ष=क्+ष (क्षत्रिय) त्र=त्+र (त्राण) ज्ञ=ज्+ञ (ज्ञान) श्र=श्+र (श्रावण) **द्वित्व व्यंजन**–एक वर्ण के दो बार मिलने से 'द्वित्व व्यंजन' बनता है; जैसे–कुत्ता (त्+त), बच्चा (च्+च), लट्टू (ट्+ट), लड्डू (ड्+ड) आदि। 6. अनुस्वार (ं) का उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अनुस्वारयुक्त शब्दों के उदाहरण हैं–कंघा, शंख, बंदर, जंगल आदि। अनुनासिक (ँ) का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुँह दोनों से निकलती है। अनुनासिकयुक्त शब्दों के उदाहरण हैं–चाँद, माँद, साँप आदि। **करने की बारी**–स्वयं करें।

3. शब्द विचार

(क) 1. पद 2. शब्द 3. तीन 4. देशज 5. रूढ़ **(ख)** 1. संकर या मिश्रित शब्दों 2. रूढ़ 3. यौगिक 4. विकारी शब्द 5. अविकारी शब्द **(ग)** 1. 3 2. 3 3. 3 4. 7 **(घ)** उष्ट्र, कूप, ओठ, मक्खी, मस्तक, बहन, दिवस, रात, नृत्य, आग, मोर, गर्दभ **(ङ)** स्वयं करें। **(च)** 1. वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि-समूह, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, **'शब्द'** कहलाता है; जैसे-पुस्तक, कमल, नदी आदि वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह हैं अतः ये शब्द हैं। 2. **उत्पत्ति के आधार पर शब्द पाँच प्रकार के होते हैं**–(1) तत्सम शब्द (2) तद्भव शब्द (3) देशज शब्द (4) विदेशी शब्द (5) संकर या मिश्रित शब्द 3. जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब वह 'पद' कहलाता है। शब्द व पद में अंतर–वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है परंतु जब वह शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। 4. **रूढ़ शब्द**–परंपरा से चले आ रहे सामान्य शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। **योगरूढ़ शब्द**–वे यौगिक शब्द जिनके अर्थ रूढ़ हो जाते हैं 'योगरूढ़' शब्द कहलाते हैं। जैसे-'पंकज'। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है- 'पंक' (कीचड़) से उत्पन्न, कीचड़ से शंख, कमल आदि भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन हिंदी में 'पंकज' शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। रूढ़ शब्दों के खंड करने पर खंडों का अर्थ नहीं निकलता जैसे-नदी=न+दी, पेड़=पे+ड़। योगरूढ़ शब्दों के खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता है। जैसे-पीतांबर =पीत (पीला) + अंबर (कपड़ा) 5. **अर्थ के आधार पर शब्दों के चार**

प्रकार हैं– (1) पर्यायवाची शब्द–जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं; जैसे-कमल-पंकज, जलज, वारिज। **अग्नि**-आग, पावक, अनल। **(2) एकार्थी शब्द**–जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं; जैसे- रोटी, मेज़, ईंट, मित्र, कुत्ता, गाय, पत्नी आदि। **(3) अनेकार्थी शब्द**–जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग-अलग अर्थ में किया जा सकता है, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं; जैसे–**कुल**-वंश, सब मिलाकर। **बल**-शक्ति, टेढ़ापन। **सोना**-धातु विशेष, सोने की क्रिया। **(4) विलोमार्थी शब्द**– एक-दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी, विलोमार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं; जैसे-भलाई-बुराई, ऊँच-नीच, मित्र-शत्रु आदि। **करने की बारी**–स्वयं करें।

4. उपसर्ग

(क) बेजान, अनजान, संयोग, सहयोग, पुनर्जन्म, आजन्म, विज्ञान, अज्ञान **(ख)** भरपेट, अपमान, खुशकिस्मत, अकाल, प्रतिकार, प्रबल, सहर्ष, प्रतिध्वनि, तत्काल, सनाथ **(ग)** 1. अधपका फल मत खाओ। 2. तुम खुशकिस्मत हो कि पास हो गए। 3. वह आजीवन दु:ख भोगता रहा। 4. यह तर्क अकाट्य है। **(घ)** 1. वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, 'उपसर्ग' कहलाते हैं। **उदाहरण**–वि + ज्ञान = विज्ञान, निर् + गुण = निर्गुण। यहाँ 'वि' व 'निर्' उपसर्ग हैं। 2. हिंदी में पाँच प्रकार के उपसर्ग हैं–(क) संस्कृत के उपसर्ग (ख) हिंदी के उपसर्ग (ग) उर्दू के उपसर्ग (घ) उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय (ङ) अंग्रेजी के उपसर्ग 3. अति, अधि, अनु, अप, अभि 4. कम, बे, बद, ला, खुश **करने की बारी**–स्वयं करें।

5. प्रत्यय

(क) मूल शब्द–भारत, रस, मोटा, खजाना, हर्ष **प्रत्यय**–ईय, ईला, आपा, ची, इत **(ख) उपसर्ग**–स्व, स, अभि, अप, परि **मूल शब्द**–तंत्र, फल, मान, मान, श्रम **प्रत्यय**–ता, ता, ई, इत, ई **(ग)** नैतिक, लौकिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, पौराणिक **(घ)** 1. शब्दों के अंत में जुड़कर, उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश **'प्रत्यय'** कहलाते हैं। **उदाहरण**–पुरुषत्व, पढ़ाई, सजावट। इन शब्दों में क्रमश: 'त्व', 'आई' व 'आवट' प्रत्यय हैं। 2. उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। 3. (i) प्रत्यय शब्द नहीं हैं, बल्कि शब्दांश हैं। (ii) इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। (iii) ये अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। **करने की बारी**–स्वयं करें।

6. संधि

(क) 1. पो + इत्र 2. राका + ईश 3. उत् + ज्वल 4. तत् + भव 5. गण + ईश **(ख)** 1. आ + आ 2. इ + ए 3. इ + आ 4. अ + उ **(ग) सत्यार्थ**=दीर्घ संधि, **राकेश**=गुण संधि,

लोकैषणा=वृद्धि संधि, **अत्याचार**=यण् संधि, **गजेंद्र**=गुण संधि, **गायक**=अयादि संधि, **धर्मात्मा**=दीर्घ संधि, **अत्यधिक**=यण् संधि, **मतैक्य**=वृद्धि संधि, **पावन**=अयादि संधि **(घ)** दिक् + अंबर, तपः +भूमि, दुः+जन, रत्न+आकार, महा+उत्सव, देव+ऋषि, तथा+एव, चर+अचर, यदि+अपि, सत्+धर्म, विद्या+अर्थी, जगत्+नाथ **(ङ)** 1. दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप-परिवर्तन को 'स्वर संधि' कहते हैं-सत्य+अर्थ=सत्यार्थ, अधिक+अंश=अधिकांश, गज+आनन=गजानन, देव+ आलय=देवालय, करुणा+अमृत=करुणामृत 2. किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे, 'व्यंजन संधि' कहते हैं। दिक्+अंबर=दिगंबर, अच्+अंत=अजंत, षट्+दर्शन=षड्दर्शन, जगत्+आनंद=जगदानंद, उत्+घाटन=उद्घाटन 3. विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, उसे 'विसर्ग संधि' कहते हैं; जैसे–मनः+बल=मनोबल, दुः+बल=दुर्बल, अधः+गति= अधोगति, वयः+वृद्ध=वयोवृद्ध, मनः+रथ=मनोरथ। **करने की बारी–**स्वयं करें।

7. समास

(क) कर्मधारय–1. चार भुजाओं वाला 2. दस मुखों वाला 3. तीन नेत्रों वाला **बहुव्रीहि–**1. चार भुजाएँ हैं जिसकी (विष्णु) 2. दस मुख हैं जिसके (रावण) 3. तीन नेत्र हैं जिसके (शिव) **(ख)** स्वयं करें। **(ग)** 1. प्रेमसागर-संबंध तत्पुरुष 2. दिनोंदिन-अव्ययीभाव 3. यथाशक्ति-अव्ययीभाव 4. सद्धर्म-कर्मधारय-समास 5. रातोंरात-अव्ययीभाव 6. त्रिवेणी-द्विगु समास **(घ)** 1. परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो अधिक शब्दों (पदों) के मेल को 'समास' कहते हैं; जैसे–राजपुत्र (राजा का पुत्र); कमलनयन (कमल जैसे नयन) आदि। 2. समास के प्रमुख भेद हैं (1) अव्ययीभाव समास (उदाहरण–यथासंभव, भरपेट) (2) तत्पुरुष समास (उदाहरण–तुलसीकृत, देशभक्ति) (3) द्विगु समास (उदाहरण–पंचवटी, चौराहा) (4) द्वंद्व समास (उदाहरण–नर-नारी, सुख-दुःख) (5) कर्मधारय समास (उदाहरण–पीतांबर, पुरुषोत्तम) (6) बहुव्रीहि समास (उदाहरण–महात्मा, नीलकंठ) 3. **तत्पुरुष समास के उपभेद–**(1) कर्म तत्पुरुष **समस्तपद**–गगनचुंबी, स्वर्गप्राप्त (2) करण तत्पुरुष **समस्तपद**–रोगमुक्त, मुँहमाँगा (3) संप्रदान तत्पुरुष **समस्तपद**–देशभक्ति, डाकगाड़ी (4) अपादान तत्पुरुष **समस्तपद**–पथभ्रष्ट, धनहीन (5) संबंध तत्पुरुष **समस्तपद**–परनिंदा, आज्ञानुसार (6) अधिकरण तत्पुरुष **समस्तपद**–घुड़सवार, कार्यकुशल 4. **कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर–** कर्मधारय में समस्त पद का पूर्वपद विशेषण या उपमान और उत्तरपद विशेष्य या उपमेय होता है परंतु बहुव्रीहि समास में सारा समस्तपद ही विशेषण का कार्य करता है; जैसे–दशानन–दस मुखों वाला (कर्मधारय); दशानन–दस मुख हैं जिसके

(रावण) (बहुव्रीहि) **करने की बारी–**स्वयं करें।

8. शब्द-भंडार

(क) स्वयं करें। **(ख)** कनिष्ठ–ज्येष्ठ, जय-विजय, घृणा-प्रेम, आय-व्यय, इष्ट-अनिष्ट, चर-अचर, अर्थ-अनर्थ, आचार-अनाचार, आलसी-परिश्रमी, श्याम-श्वेत, पंडित-मूर्ख, सम-विषम **(ग)** स्वयं करें। **(घ)** 1. कूल, कुल 2. अनिल, अनल 3. परिमाण, परिणाम 4. जलद, जलज **(ङ)** 1. अतिवृष्टि 2. शरणागत 3. सर्वसम्मति 4. दैनिक 5. भ्रष्ट **(च)** निर्दोष, असीम, कवयित्री, मांसाहारी, निर्लज्ज, आजीवन, सर्वज्ञ, प्रतिभावान **(छ)** 1. अपराध 2. साहस 3. अनिवार्य 4. असफल **(ज)** स्वयं करें। **करने की बारी–**स्वयं करें।

9. संज्ञा

(क) 1. पाँच 2. व्यक्तिवाचक संज्ञा 3. पाँच 4. द्रव्यवाचक संज्ञा 5. जातिवाचक संज्ञा **(ख)** 1. सफलता 2. निर्धनता 3. विनम्रता 4. चाल 5. सुंदरता **(ग)** 1. 7 2. 7 3. 3 4. 3 5. 7 **(घ)** 1. जयचंदों, देश 2. भीड़, बच्चा 3. चारमीनार, हैदराबाद 4. अकबर, दिल्ली, सम्राट 5. चाँदी, अँगूठियाँ **(ङ)** **नगर**-जातिवाचक, **तूफान**-जातिवाचक, **परिवार**-समूहवाचक, **दिल्ली**-व्यक्तिवाचक, **भीड़**-समूहवाचक, **सम्राट**-जातिवाचक, **सोना**-द्रव्यवाचक, **तक्षशिला**-व्यक्तिवाचक, **विनम्रता**-भाववाचक, **रामचरितमानस**-व्यक्तिवाचक **(च)** बच्चा, सेवक, पशु, देव, स्वामी, माता, मनुष्य, भाई **(छ)** 1. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यत: पाँच भेद हैं–(1) व्यक्तिवाचक संज्ञा (2) जातिवाचक संज्ञा (3) भाववाचक संज्ञा (4) समूहवाचक संज्ञा (5) द्रव्यवाचक संज्ञा 2. जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर, उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन जाती है; जैसे–विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। **विभीषण–**व्यक्तिवाचक संज्ञा **विभीषणों–**जातिवाचक संज्ञा 3. जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने पर व्यक्तिवाचक बन जाती है; जैसे–महात्माजी ने भारत को स्वतंत्र कराया। नेताजी भारत माता के सच्चे सपूत थे। यहाँ महात्माजी व नेताजी जातिवाचक संज्ञा हैं; परंतु ये व्यक्ति विशेष-गाँधीजी व सुभाषचंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने पर व्यक्तिवाचक बन गई हैं। 4. जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराएँ, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे-राम, कृष्ण, मीरा, चेतन, अकबर, हरिद्वार, हिमालय, गंगा, यमुना, रामायण, गीता, ताजमहल आदि। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराएँ उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–स्त्री, पुरुष, लड़की, गाय, घोड़ा, पर्वत, नगर, गाँव, प्रांत, पुस्तक आदि। 5. भाववाचक संज्ञाओं की रचना

पाँच प्रकार के शब्दों से की जाती है–(1) जातिवाचक संज्ञाओं से (2) सर्वनामों से (3) विशेषणों से (4) क्रियाओं से (5) अव्यय शब्दों से **(1) जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना–**माता-मातृत्व मनुष्य-मनुष्यता **(2) सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना–**मम-ममत्व, सर्व-सर्वस्व **(3) विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना–**मधुर-मधुरता, चालाक-चालाकी **(4) क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना–**हँसना-हँसी, चुनना-चुनाव **(5) अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना–**दूर-दूरी, निकट-निकटता **करने की बारी–**स्वयं करें।

10. लिंग

(क) 1. चिह्न 2. दो 3. स्त्रीलिंग 4. छात्रा 5. नेत्री **(ख)** 1. 3 2. 7 3. 7 4. 3 **(ग)** 1. हमारी सम्राज्ञी अत्यंत विदुषी हैं। 2. आजकल नेत्रियों एवं अभिनेत्रियों की चाँदी है। 3. इस कविता की रचयित्री एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। 4. आचार्या की शिष्या बुद्धिमती हैं। **(घ)** नारी, शिष्या, शिक्षिका, तेलिन, पंडिताइन, मोरनी, सुधारिका, चिड़िया, मालिन, यशस्विनी, कवयित्री, गुणवती **(ङ)** नर चील, नर गिलहरी, नर मछली, रुद्र, नाई, डिब्बा, हंस, युवक **(च)** 1. शब्द के जिस रूप से यह पता चले, कि वह पुरुष (नर) जाति का है अथवा स्त्री (मादा) जाति का, उसे लिंग कहते हैं। इसके दो भेद हैं-(1) पुल्लिंग (2) स्त्रीलिंग 2. **नित्य पुल्लिंग के पाँच उदाहरण–**मच्छर, कछुआ, गैंडा, गीदड़, खरगोश। **नित्य स्त्रीलिंग के पाँच उदाहरण–**मैना, मक्खी, मकड़ी, कोयल, चील। 3. नेत्र (पुल्लिंग) आँख (स्त्रीलिंग), चित्र (पुल्लिंग) तस्वीर (स्त्रीलिंग), ग्रंथ (पुल्लिंग) पुस्तक (स्त्रीलिंग), शरीर (पुल्लिंग), काया (स्त्रीलिंग), कटु (पुल्लिंग) कड़वी (स्त्रीलिंग)। **करने की बारी–**स्वयं करें।

11. वचन

(क) 1. दो 2. एकवचन में 3. मक्खियाँ 4. नेतागण **(ख)** 1. भेड़-बकरियाँ 2. छात्रों 3. पत्तियों 4. बालकों 5. डाकुओं **(ग)** 1. छात्राएँ विद्यालय जा रही हैं। 2. बच्चे कहानी पढ़ रहे हैं। 3. चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं। 4. कुत्ते भागते-भागते गड्ढे में गिर गए। **(घ)** लेखिकाएँ, शीशे, लड़के, टोपियाँ, चुहियाँ, गरीब लोग, गुरुजन, स्त्रियाँ, गौएँ, कन्याएँ **(ङ)** 1. जिस संज्ञा-शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे **'वचन'** कहते हैं। **उदाहरण–**(1) लड़का दौड़ रहा है। (2) लड़के दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में, पहले वाक्य में 'लड़का' शब्द से 'एक' का तथा दूसरे वाक्य में 'लड़के' शब्द से अनेक का बोध हो रहा है अत: 'लड़का' व 'लड़के' वचन हैं। 2. जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे 'एकवचन' के नाम से जाना जाता है; जैसे- पुस्तक, चिड़िया, चींटी, गुरु, बच्चा, गाय, पाठशाला आदि। 3. जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं

या स्थानों का बोध हो, उसे 'बहुवचन' के नाम से जाना जाता है; जैसे- पुस्तकें, चिड़ियाँ, चींटियाँ, गुरुजन, बच्चे, गायें, पाठशालाएँ आदि। 4. **क्रिया के द्वारा वचन की पहचान–** जब संज्ञा का एकवचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है, तब उसके वचन की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से होती है। जैसे- **अ** (1) हाथी जंगल से भाग गया। (2) विद्यार्थी पढ़ रहा है। (3) चोर पकड़ा गया। (4) बंदर पेड़ पर बैठा है। **ब** (1) हाथी जंगल से भाग गए। (2) विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। (3) चोर पकड़े गए। (4) बंदर पेड़ पर बैठे हैं। 'अ' वर्ग के वाक्यों में 'हाथी' 'विद्यार्थी' 'चोर', 'बंदर' एकवचन हैं क्योंकि इनके साथ प्रयुक्त क्रियाएँ एकवचन का बोध करा रही हैं। 'ब' वर्ग के वाक्यों में 'हाथी' 'विद्यार्थी', 'चोर' 'बंदर' बहुवचन हैं, क्योंकि इनके साथ प्रयुक्त क्रियाएँ बहुवचन का बोध करा रही हैं। 5. जब सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तब बहुवचन आदरार्थक बहुवचन होता है। जैसे-(क) गाँधी जी अहिंसावादी थे। (ख) रवि के पिताजी इंस्पेक्टर हैं। इन वाक्यों में 'गाँधी जी', 'पिताजी' एकवचन संज्ञाएँ हैं, परंतु आदर के अर्थ में इनके लिए बहुवचनसूचक क्रियाओं 'थे' व 'हैं' का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ 'थे' व 'हैं' आदरार्थक बहुवचन हैं। **करने की बारी–**स्वयं करें।

12. कारक

(क) 1. ने 2. ये दोनों 3. को 4. ये दोनों **(ख)** 1. को 2. में 3. पर 4. से 5. से **(ग)** 1. कर्म 2. कर्म 3. अपादान 4. संप्रदान 5. संबोधन 6. अधिकरण **(ग)** कर्ता–ने, कर्म–को, करण–से संप्रदान–के लिए, अपादान–से (पृथक), संबंध–का, के, अधिकरण–में, पर **(घ)** 1. कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में 'को' विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ 'को' जुड़ा होता है, उस पर क्रिया का फल पड़ता है; जैसे–मीनाक्षी ने अंकित को पढ़ाया। (क्रिया का फल 'अंकित' पर) संप्रदान कारक के चिह्न 'को' का अर्थ 'के लिए' होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का बोध होता है; जैसे–(क) यहाँ लिखने को कॉपी नहीं मिलतीं। (लिखने के लिए) (ख) भिखारी को भोजन और वस्त्र दे दो। (भिखारी के लिए) 2. इन दोनों कारकों में विभक्ति चिह्न 'से' का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में 'से' का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में 'से' का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है; जैसे–(क) मैं साइकिल से पढ़ने जाता हूँ। ('से'-साधन के रूप में) (ख) पेड़ से आम गिरा। ('से' अलग होने के अर्थ में) **(ङ)** 1. किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का, उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है, उसे **'कारक'** कहते हैं। **उदाहरण–**पुष्पा ने रवि को बुलाया। इस वाक्य में पुष्पा व रवि कारक हैं। 2. **(1) कर्ता कारक–उदाहरण–**(क) नरेश ने किताब पढ़ी। (क) केशव फुटबॉल खेलेगा।

(ख) रमा पुस्तक पढ़ रही है। **(2) कर्म कारक–उदाहरण–**(क) माली ने पौधे को पानी दिया। (ख) सुनीता ने खाना बनाया। (ग) रवि ने महेश को पढ़ाया। **(3) करण कारक–उदाहरण–**(क) बढ़ई ने लकड़ी से मेज़ बनाई। (ख) मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी। (ग) वह बस के द्वारा दिल्ली गया। **(4) संप्रदान कारक–उदाहरण–**(क) रवि ने सुधा के लिए खिलौने खरीदे। (ख) पंडित जी को खाना दो। (ग) बच्चे को फल दो। **(5) अपादान कारक–उदाहरण–**(क) पेड़ से पत्ते गिरते हैं। (ख) मोहन कानपुर से निकल गया। (ग) बंदर छत से कूद गया। **(6) अधिकरण कारक–उदाहरण–**(क) पिताजी कमरे में सो रहे हैं। (ख) बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। (ग) कौआ पेड़ पर बैठा है। **(7) संबंध कारक–उदाहरण–**(क) यह गोविंद का लड़का है। (ख) भारत के रहने वाले शांतिप्रिय हैं। (ग) वह रवि की बहन है। **(8) संबोधन कारक–उदाहरण–**(क) हे प्रभु! हमारी सहायता करो। (ख) ठहरो! उस तरफ ख़तरा है। (ग) बच्चों! खूब मन लगाकर पढ़ो। 3. संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए, उनके साथ 'ने, को, से, का, के, पर, की, हे, अरे' आदि जो चिह्न लगाए जाते हैं, उन्हें परसर्ग या विभक्ति चिह्न कहते हैं। **करने की बारी–**स्वयं करें।

13. सर्वनाम

(क) 1. छह 2. तीन 3. ये दोनों 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम **(ख)** 1. 3 2. 3 3. 3 4. 3 5. 7 **(ग)** 1. कोई–अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2. वह–अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम 3. जो, वे–संबंधवाचक सर्वनाम 4. वे–अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम्हारे–मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम 5. तू–मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कुछ–अनिश्चयवाचक सर्वनाम **(घ)** 1. तुम कौन हो? 2. हम आ गए हैं। 3. यह हँस रहा है। 4. हमें कुछ रुपये दे दो। 5. आप मुझे पढ़ाइए। **(ङ)** 1. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द **सर्वनाम** कहलाते हैं। 2. **वाक्य में पुनरुक्ति का दोष–**(1) अंकुर अंकुर के भाई के साथ बाज़ार नहीं जाएगा। (2) शोभित प्रातःकाल उठा। शोभित सैर को गया। (3) लोग सड़क पर खड़े थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे। **सर्वनाम का प्रयोग–**(1) अंकुर अपने भाई के साथ बाज़ार नहीं जाएगा। (2) शोभित प्रातःकाल उठा। वह सैर को गया। (3) लोग सड़क पर खड़े थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। 3. सर्वनाम के प्रमुख छह भेद हैं– (1) पुरुषवाचक सर्वनाम (2) निश्चयवाचक सर्वनाम (3) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (4) संबंधवाचक सर्वनाम (5) प्रश्नवाचक सर्वनाम (6) निजवाचक सर्वनाम 4. **(1) पुरुषवाचक सर्वनाम–**वार्तालाप के समय तीन प्रकार के व्यक्ति वार्तालाप का अंश होते हैं- (i) बोलने वाला (ii) सुनने वाला (iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसके विषय में बात की जा रही हो। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं- **(क) उत्तम पुरुष**–बात कहने

वाला अथवा कुछ लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं; जैसे- मैं, मुझे, हम, हमें। **(ख) मध्यम पुरुष**–बोलने वाला जिससे बातें कर रहा हो, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक होते हैं; जैसे- तुम, आप, तू आदि। **(ग) अन्य पुरुष**–बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है, उसके लिए 'वह' और 'वे' आदि शब्दों का प्रयोग करता है। 'वह' और 'वे' अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। 5. किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रमुख हैं- यह, वह, ये, वे। **उदाहरण**–(1) यह मेरा कार्यालय है। (2) पुस्तक रख दो, वह तुम्हारी नहीं है। (3) वह मेरा घर है। (4) वे सब हँस रहे हैं। (5) ये सब पढ़ रहे हैं। **करने की बारी**–स्वयं करें।

14. विशेषण

(क) 1. पाँच 2. ये दोनों 3. ये दोनों 4. तीन **(ख)** 1. बुद्धिमान 2. वैज्ञानिक 3. दयालु 4. स्वदेशी **(ग) विशेषण**–1. नीला 2. दो 3. थोड़ा 4. बहुत 5. बड़ा **भेद**–1. गुणवाचक 2. निश्चित संख्यावाचक 3. अनिश्चित परिमाणवाचक 4. अनिश्चित परिमाणवाचक 5. गुणवाचक **(घ)** धनी, वन्य, विषैला, गुणी, बाहरी, राष्ट्रीय, अगला, ऊपरी, अपमानित **(ङ)** 1. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। **उदाहरण**-(1) रवि मेधावी छात्र है। (2) यह बनारसी साड़ी है। इन वाक्यों में 'मेधावी' व 'बनारसी' विशेषण हैं क्योंकि ये क्रमशः छात्र व साड़ी की विशेषता बता रहे हैं। 2. विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं; जैसे-आम मीठा है। इस वाक्य में आम की विशेषता बताई जा रही है अतः 'आम' विशेष्य है। 3. विशेषण पाँच प्रकार के होते हैं-(1.) गुणवाचक विशेषण (2) संख्यावाचक विशेषण (3) परिमाणवाचक विशेषण (4) सार्वनामिक विशेषण (5) व्यक्तिवाचक विशेषण 4. **(1)** विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से की जाती है। **उदाहरण–(1) संज्ञा से निर्मित विशेषण**–चाचा-चचेरा, रूप-रूपवान **(2) सर्वनाम से निर्मित विशेषण**– यह-ऐसा, वह-वैसा **(3) क्रिया से निर्मित विशेषण**–भागना-भगौड़ा, तैरना-तैराक **(4) अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण**– ऊपर-ऊपरी, आगे-अगला 5. विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं–(1) मूलावस्था (2) उत्तरावस्था (3) उत्तमावस्था। **(1) मूलावस्था**–जब किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का गुण-दोष सामान्य रूप से बताया जाता है, तो उसमें तुलना नहीं होती, केवल प्राणी, वस्तु या स्थान में निहित गुण-दोष का ही वर्णन किया जाता है; जैसे- गिलास में गर्म दूध है। माला एक सुंदर लड़की है। गर्म-गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, सुंदर-गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था **(2) उत्तरावस्था**–जब दो प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों आदि की तुलना की जाती है, तो एक को दूसरे की अपेक्षा अच्छा या बुरा अथवा अधिक या कम बताया जाता है; जैसे-गोपाल सुरेश से अधिक बुद्धिमान है। गरिमा सरिता से अधिक लंबी है। उपर्युक्त वाक्यों में अधिक बुद्धिमान तथा अधिक लंबी शब्द दो विशेष्यों के बीच तुलना प्रकट कर रहे हैं। अतः ये

विशेषणों की उत्तरावस्था दर्शाते हैं। **(3) उत्तमावस्था**–जब एक वस्तु की तुलना बहुत-सी वस्तुओं से की जाती है और उसकी विशेषता को सबसे श्रेष्ठ या सबसे निम्न बताया जाता है, तब वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है; जैसे- अविनाश कक्षा का श्रेष्ठतम बालक है। गरिमा कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। उपर्युक्त वाक्यों में श्रेष्ठतम तथा सबसे लंबी विशेषण की उत्तमावस्थाएँ हैं। **करने की बारी**–स्वयं करें।

15. क्रिया

(क) 1. क्रिया के धातु रूप 2. दो 3. छह **(ख) क्रिया शब्द**–1. हँसना 2. जाओगे 3. आएँगे। 4. पीता है। 5. पढ़ी। **धातु**–1. हँस 2. जा 3. आ 4. पी 5. पढ़ **(ग) अकर्मक क्रिया**– 3. उड़ेगी 4. हँसेगा 5. रो रहा है। **सकर्मक क्रिया**–1. लिखूँगा 2. खाएँगे। **(घ)** 1. उठकर 2. खाकर 3. देकर 4. लिखकर **(ङ)** बतियाना, लजाना, सठियाना, शर्माना, झुठलाना, अपनाना **(च)** 1. किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द को **क्रिया** कहते हैं। **वाक्य में क्रिया का महत्व**–क्रिया प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। 2. क्रिया के मूल रूप को **धातु** कहते हैं; जैसे- उठ, चल, सो, आ, पढ़, लिख, गा आदि। 3. **संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद**–(1) सामान्य क्रिया (2) संयुक्त क्रिया (3) प्रेरणार्थक क्रिया (4) पूर्वकालिक क्रिया (5) नामधातु क्रिया (6) विधिसूचक क्रिया 4. **(क) सकर्मक क्रिया**– वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है अथवा उसके होने की संभावना रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्ता के द्वारा ही की जाती है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है; जैसे-(1) विमला गीत गाती है। (यहाँ 'गाती है' क्रिया का फल गीत (कर्म) पर पड़ रहा है।) (2) समीर खीर खाता है। (यहाँ 'खाता है' क्रिया का फल खीर (कर्म) पर पड़ रहा है।) **(ख) अकर्मक क्रिया**–अकर्मक का अर्थ है 'बिना कर्म का'। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता तथा क्रिया का फल 'कर्ता' पर ही पड़ता है, उन वाक्यों की क्रियाएँ अकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे-बच्चा रोता है। कुत्ता भौंकता है। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता (बच्चे, कुत्ते) पर ही पड़ रहा है। **करने की बारी**–स्वयं करें।

16. काल

(क) 1. तीन 2. छह 3. तीन 4. दो **(ख)** 1. गया 2. देखा था 3. पढ़ा रहे थे 4. पढ़ ली है। **(ग)** 1. हेतु-हेतुमद भूत 2. सामान्य भूत 3. अपूर्ण वर्तमान 4. संदिग्ध भूत 5. सामान्य वर्तमान **(घ)** 1. आसन्न भूत 2. सामान्य भूत 3. सामान्य भूत 4. हेतु हेतुमद भूत 5. अपूर्ण भूत 6. संभाव्य भविष्यत् **(ङ)** 1. क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, उस समय को व्याकरण में 'काल' कहते हैं। 2. काल के तीन भेद हैं–(1) भूतकाल (2) वर्तमान काल (3) भविष्यत् काल। **(1) भूतकाल**–क्रिया के जिस रूप से बीते हुए

समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं; जैसे–(क) राम ने रावण को मारा। (ख) परसों वर्षा हुई थी। **(2) वर्तमान काल–**क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–(क) मैं खाना खा रहा हूँ। (ख) रेखा पढ़ती है। **(3) भविष्यत् काल–**क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्यत् काल कहलाता है; जैसे-(क) वह कल विद्यालय जाएगा। (ख) मैं पत्र लिखूँगा। 3. क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भूत कहा जाता है; जैसे–(क) रमेश ने पत्र लिखा। (ख) नेहा ने केला खाया। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे–(क) पिताजी कार्यालय चले गए थे। (ख) बच्चा सो गया था। (ग) माली घर जा चुका था। **करने की बारी–**स्वयं करें।

17. अविकारी शब्द

(क) 1. चार 2. ऊपर 3. ये दोनों 4. आह **(ख) क्रियाविशेषण–**1. वहाँ 2. फिर 3. ज़ोर-से 4. थोड़ा-थोड़ा 5. रातभर **भेद–**1. स्थानवाचक 2. कालवाचक 3. रीतिवाचक 4. परिमाणवाचक 5. कालवाचक **(ग)** 1. परंतु 2. तो 3. इसलिए 4. ताकि 5. या **(घ)** 1. कछुआ धीरे-धीरे चलता है। 2. हिरन तेज़ दौड़ता है। 3. रवि थोड़ा खाता है। 4. लता मधुर गाती है। 5. वह बिल्कुल चुप हो गया। 6. आज बादल गरज रहे थे। **(ङ)** 1. ऐसे शब्द, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं; **उदाहरण–**धीरे-धीरे, तेज, प्रतिदिन, यहाँ, उधर, ऊपर, बाद, अरे अविकारी शब्द हैं। 2. क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रियाविशेषण कहलाते हैं। 3. क्रियाविशेषण के चार भेद हैं–**(क) कालवाचक क्रियाविशेषण–**जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे-वह **आज** आएगा। तुम **अब** चले जाओ। **(ख) स्थानवाचक क्रियाविशेषण–**जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएँ, उन्हें स्थानवाचक क्रिया. विशेषण कहते हैं; जैसे-तुम **आगे** चलो, वह **पीछे** आ रहा है। • मेहमान **भीतर** बैठे हैं। • **(ग) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण–**जो क्रियाविशेषण क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं; जैसे–**कम** खाओ। रेणु **कुछ** मुस्कुराई। **(घ) रीतिवाचक क्रियाविशेषण–**जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे–हिरन **तेज़** दौड़ता है। वह **विनयपूर्वक** बोलता है। 4. जो अविकारी शब्द संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर, उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। **अर्थ के अनुसार संबंधबोधक अव्यय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख हैं–** (1)

दिशासूचक-की तरफ़, की ओर, के पार आदि। (2) स्थानसूचक- के पास, के निकट, से दूर, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे आदि। (3) कालसूचक-से आगे, के पीछे, से पहले, के उपरांत, के पश्चात् आदि (4) सहचरबोधक-के संग, के साथ, के समेत आदि। (5) समानतासूचक-के बराबर, के तुल्य, के समेत आदि। (6) तुलनासूचक-की अपेक्षा, के आगे आदि। (7) उद्देश्यसूचक-के लिए, की खातिर, के निमित्त आदि। (8) विरोधसूचक-के विपरीत, के प्रतिकूल, के विरुद्ध आदि। (9) साधनसूचक-के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि। (10) व्यतिरेकसूचक-के बिना, से रहित, के बजाय, के अतिरिक्त, के बगैर आदि। (11) संग्रहसूचक-तक, सहित, भर, पर्यंत आदि। (12) कारणसूचक- के लिए, के कारण, की वजह आदि। 5. दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को **समुच्चयबोधक अव्यय** कहते हैं। समुच्चयबोधक दो प्रकार के होते हैं–**(1) समानाधिकरण समुच्चयबोधक–**जो समुच्चयबोधक समान स्थिति वाले अर्थात् स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक-दूसरे से जोड़ते हैं; उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक के नाम से जाना जाता है। **उदाहरण–**(1) श्रीकृष्ण और बलराम भाई थे। (2) श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया परंतु हठी दुर्योधन न माना। यहाँ 'और', 'परंतु' समानाधिकरण समुच्चयबोधक हैं। **(2) व्यधिकरण समुच्चयबोधक–**ये वे अव्यय हैं, जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से मिलाते हैं; जैसे-यदि उसने कहना मान लिया होता, तो अब न पछताता। गाँधी जी कहा करते थे, कि सत्य ही ईश्वर है। यहाँ 'तो' तथा 'कि' व्यधिकरण समुच्चयबोधक हैं। 6. वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे–शाबाश! तुमने तो कमाल कर दिया। छि:! कितनी बदबू है। हाय! मेरी साइकिल चोरी हो गई। अरे! तुम जा रहे हो। उपर्युक्त वाक्यों से क्रमश: हर्ष, घृणा, शोक, आश्यर्च के मनोभाव प्रकट हो रहे हैं। अत: शाबाश, छि: हाय, अरे विस्मयादिबोधक है। **प्रमुख विस्मयादिबोधक शब्द–**1. **हर्षबोधक**-आहा, अहा, शाबाश, वाह-वाह, जय, धन्य आदि। **शोकबोधक**-हाय, ओह, हा, आह, राम-राम, हाय-राम आदि। **आश्चर्यबोधक**-अरे, वाह, क्या, ओहो, हैं आदि। **अनुमोदनबोधक**-अच्छा, अवश्य, हाँ-हाँ, ठीक, वाह आदि। **स्वीकारबोधक**-ठीक, बहुत अच्छा, अच्छा, हाँ, जी हाँ आदि। **आशीर्वादबोधक**-दीर्घायु होओ, जीते रहो, सुखी रहो आदि। **घृणाबोधक**-छि:, छि:-छि, थू, धिक्। **क्रोधसूचक**-अबे, धत्, चुप आदि। **अभिवादन बोधक**-प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, राम-राम जी आदि। **सावधानीबोधक**- सावधान, होशियार, खबरदार। **करने की बारी–**स्वयं करें।

18. पद परिचय

(क) 1. वाह 2. यह 3. बहुत 4. शाबाश 5. मीठे **(ख)** 1. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम 2.

मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम 3. भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा 4. क्रिया विशेषण, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा 5. व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया **करने की बारी**–स्वयं करें।

19. वाक्य विचार

(क) 1. दो 2. तीन 3. आठ **(ख) उद्देश्य**–1. वह 2. पनवाड़ी 3. नौकर 4. मैं 5. उसने **विधेय**–1. पुस्तकें खरीदने बाज़ार गया। 2. पान लगा रहा है। 3. ने घर साफ़ कर दिया। 4. चाहता हूँ, कि तुम परिश्रम करो। 5. सफ़ेद शेर देखा। **(ग)** 1. विधानवाचक 2. प्रश्नवाचक 3. आज्ञावाचक 4. निषेधवाचक 5. संदेहवाचक **(घ)** 1. सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। 2. वाक्य के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं–(1) सार्थकता (2) योग्यता (3) आकांक्षा (4) आसक्ति या निकटता (5) पदक्रम (6) अन्वय 3. **(1) सार्थकता**–सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य की प्रथम आवश्यकता होती है। निरर्थक शब्दों का समूह वाक्य संरचना नहीं कर सकता। ऐसे शब्द वाक्य में सार्थक शब्दों के साथ तभी प्रयोग किए जा सकते हैं, तब वे भी कुछ अर्थ दें; जैसे–(क) क्या 'चैं-चैं' लगा रखी है? (ख) कुछ पानी-वानी लाओ। यहाँ निरर्थक शब्द 'चैं-चैं' 'नाहक बोलने' तथा 'वानी' 'आदि', 'वगैरह' के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अत: ये शब्द निरर्थक होकर भी सार्थक हो उठे हैं। **(2) योग्यता**–शब्द सार्थक होने के साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता रखते हैं; उदाहरणार्थ 'घोड़ा घास पीता है।' वाक्य में सभी शब्द सार्थक होने पर भी यह सही अर्थ देने की योग्यता नहीं रखता क्योंकि घास खाने का पदार्थ है न कि पीने का। इसे 'घोड़ा घास खाता है।' क्रम में रखेंगे तभी यह योग्यता की शर्त पूरी कर सकेगा। 4. **(1) उद्देश्य**–वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं; जैसे–'सविता गीत गा रही है।' यहाँ सविता के विषय में कहा गया है। अत: 'सविता' वाक्य का उद्देश्य है। **(2) विधेय**–वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं; जैसे-सविता गीत गा रही है। यहाँ 'गीत गा रही है' उद्देश्य के विषय में बताया गया है। अत: यही वाक्य का विधेय है। 5. रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं–**(1) सरल (साधारण) वाक्य–उदाहरण**–सविता गीत गा रही है। **(2) संयुक्त वाक्य–उदाहरण**–वह बाज़ार गया और उसने फल खरीदे। **(3) मिश्र वाक्य–उदाहरण**–प्रधानाचार्य ने कहा, कि कल छुट्टी रहेगी। **करने की बारी**–स्वयं करें।

20. विराम चिह्न

(क) 1. कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है: **(क)** अकर्मक क्रिया **(ख)** सकर्मक क्रिया। 2. नेहरू जी ने कहा था, ''आराम हराम है।'' 3. अध्यापक–भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? छात्र–पं० जवाहरलाल नेहरू। 4. नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता।

5. अरे, मोहन गया, जब मैं मिला था, वह कुछ नहीं बोला। **(ख)** 1. बोलते समय बोलने वाले को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बीच-बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय भाव-बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए भी रुकना पड़ता है। इसके लिए कहीं अधिक समय रुकना पड़ता है और कहीं कम समय के लिए। रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष-चिह्न लगाने पड़ते हैं। ये चिह्न विराम-चिह्न कहलाते हैं। 2. भाषा में विराम चिह्न की बहुत उपयोगिता है। विराम चिह्न के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ सरल व स्पष्ट हो जाता है। 3. अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं–(क) एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए–(1) मीरा, श्वेता, गरिमा और अनुराधा खेल रही हैं। (2) वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है। (ख) उपवाक्यों को अलग करने के लिए– (1) जो कुछ भी होगा, देखा जाएगा। (2) वह पढ़ता तो बहुत है, पर सफल नहीं होता। (ग) यह, वह, तब, तो आदि के स्थान पर–(1) जब आप आए, मैं पढ़ रहा था। (2) जो घड़ी आपने भेजी थी, मुझे मिल गई है। (घ) 1. संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा 'हाँ' या 'नहीं' के पश्चात्–(1) मित्रो, मुझे आज घर पर अवश्य कार्य है। (2) रमेश, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। (3) हाँ, मैं भी चलूँगा। (ङ) पत्र में अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए–अभिवादन में-पूज्य दादी, प्रिय, मित्र। समापन में-भवदीय, तुम्हारा प्रिय मित्र, पता-14ए, सिविल लाइन। दिनांक-2 जून, 2002 (च) उद्धरण से पहले-अध्यापक ने कहा, ''पृथ्वी गोल है।'' 4. जब कुछ लिखने से छूट जाता है, तब त्रुटिपूरक या हंस पद चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे-जैसे–सुख-दु:ख तो जीवन में लगे रहते हैं। 5. किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य (०) लगा देते हैं। इस शून्य (०) को संक्षेपक या लाघव चिह्न कहते हैं। **उदाहरण–**डॉक्टर=डॉ०, पंडित=पं०, प्रोफ़ेसर=प्रो० आदि। **करने की बारी–**स्वयं करें।

21. मुहावरे और लोकोक्तियाँ

(क) 1. आपे से बाहर मत हुआ करो। 2. के पर गिन लेता है। 3. भैंस बराबर है 4. बनाते हैं। 5. खुल गई। **(ख)** 1. गागर में सागर भरना। 2. गिरगिट की तरह रंग बदलना 3. खून खौलना 4. खून पसीना एक करना 5. घोड़े बेचकर सोना **(ग)** 1. एक पंथ दो काज 2. जल में रहकर मगर से बैर 3. चोर की दाढ़ी में तिनका 4. जिसकी लाठी उसकी भैंस 5. चोर-चोर मौसेरे भाई **(घ)** 1. ऐसा वाक्यांश, जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे 'मुहावरा' कहते हैं। 2. लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला वह परंपरागत कथन या उक्ति जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है, लोकोक्ति कहलाती है। 3. मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर निम्न

बातों से स्पष्ट हैं–(1) मुहारा वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। (2) मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अत: वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरणस्वरूप किया जाता है। **करने की बारी–**स्वयं करें।

22. अलंकार

(क) 1. श्लेष 2. अनुप्रास 3. उपमा 4. रूपक 5. यमक 6. उपमा **(ख)** 1. जब किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे–तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। (यहाँ त वर्ण एक से अधिक बार आया है) 2. जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके, उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे–''मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों'' इस पंक्ति में चंद्रमा को खिलौना बना दिया गया है। अत: यहाँ रूपक अलंकार है। **करने की बारी–**स्वयं करें।